न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/46/2025	2025/134	03.03.2025	16.07.2025

1–जगवन्तसिंह,
2–जसवन्तसिंह,
3– सतवन्तसिंह पुत्र रमेशचन्द,
4 रमेशचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासीयान लालपुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)
2– सुन्दरलाल,
3– हंसराज पुत्रान लेखराम जाति मेघवाल निवासी लालपुर तहसील कोटकासिम जिलां खैरथल तिजारा (राजस्थान)

असल रेस्पोडेण्टान

4– महावीर पुत्र हुकमचन्द,
5– शुभराम पुत्र हुकमचन्द,
6– सुरेश पुत्र कालूराम जाति अहीर निवासीयान लालपुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

तरतीबी रेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार कोटकासिम निर्णय दिनांक 21/05/2024 प्रकरण संख्या 09/2022 बअनुवान मुकदमा सुन्दरलाल वगै0 बनाम जगवन्तसिंह वगै0 जिसके द्वारा बेजा रूप से रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर अहम् गलती की है, को अपास्त किये जाने बाबत।

उपस्थित–
01. श्री जर्नादन शर्मा –वकील अपीलान्टान
02. श्री राकेश कुमार –वकील रेस्पोडेन्टान

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटकासिम के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2024 प्रकरण संख्या 09/2022 बअनुवान मुकदमा सुन्दरलाल वगै0 बनाम जगवन्तसिंह वगै0 जिसके द्वारा बेजा रूप से रेस्पो0 नं0 2 व 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर अहम् गलती की से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 777 रकबा 0.0632 है0 वाके ग्राम लालपुर

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

तहसील कोटकासिम मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम लाडपुर में स्थित है, तथा आराजी कृर्षि भूमि की न होकर आवासीय जायदाद है, उपरोक्त आराजी गणपत वल्द कल्लू कोम अहीर निवासी लाडपुर की कब्जा उपयोग उपभोग की जायदाद थी, जिसका बेचान गणपत द्वारा दिनाक 10.05.1972 को जरिये इकरारनामा मिन अपीलान्ट के दादा कन्हैयालाल वल्द रामप्रसाद कोम अहीर निवासी लाडपुर को बेचान कर दिया तथा कब्जा सौप दिया गया। मिन अपीलान्ट के दादा कन्हैयालाल की मृत्यू हो जाने के बाद मिन अपीलान्टान उपयोग उपभोग कर रहे है। अपीलान्ट संख्या 2 जसवन्त की पत्नी सरोज के नाम विधुत विभाग से विधुत कनेक्शन भी लिया हुआ है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी संवत 2055, 2056, 2057, 2058 में पडत गुवाडा तथा संवत 2067, 2068, 2069, में आबादी दर्ज है। उक्त भूमि वक्त अलॉटमेन्ट या उससे पूर्व कृषि भूमि न होकर गैरमुमकिन गुवाडा थी, जिस पर मिन अपीलान्टान अरसा पूर्व से उपयोग उपभोग कर रहे है। रेस्पोडेन्टान द्वारा झूठे मुकदमें के तहत माननीय न्यायालय से मिन अपीलान्टान को बेदखल करवाना चाहते है। मिन अपीलान्टान के पास उक्त जायदाद के अरसा करीब 10–15 वर्ष पुराने भवन निर्माण के सैटेलाईट गुगल फोटो है, जिससे साफ जाहिर होता है, कि रेस्पोडेन्टान ने गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया है। अपीलान्टान जगवन्त, जसवन्त के पिता रमेश चन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी लालपुर द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 पेश किया गया। जिसे तहत अदालत द्वारा स्वीकार कर मिन अपीलान्टान को पक्षकार स्वीकार किया गया। रमेश चन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी लालपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार आराजी खसरा न0 777 रकबा 0.0632 है0 जो कि वास्तविकता में गैरमुमकिन गुवाडा है, मिन अपीलान्टान के पिता कन्हैयालाल वल्द रामप्रसाद कोम अहीर निवासी लालपुर की खरीदशुदा जायदाद थी। जिस पर काबिज होकर मिन अपीलान्टान उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रकरण में वर्णित आराजी के बाबत माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटकासिम में बउनान रमेश बनाम सुन्दरलाल वाद विचाराधीन है, ऐसी सूरत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत कार्यवाही नही चल सकती है। प्रकरण में मुताबिक पटवारी हल्का के अपने रिपोर्ट में अंकित किया गया है, कि मौके पर 50 वर्षो से ज्यादा समय से मिन अपीलान्टान रिहायसी मकानात बनाकर निवास कर रहे है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। तहत अदालत तहसीलदार कोटकासिम ने अपने निर्णय में केवल एक पक्ष पर ही ध्यान दिया है, तथा मिन अपीलान्टान के द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों को जान–बूझकर संक्षिप्त प्रक्रिया (समरी ट्रायल) के नाम पर नजर अंदाज किया है। तथा 50 वर्ष से ज्यादा के निवास को स्वीकार करने के बावजूद अपने निर्णय की दार्शनिक अंदाज में नजीर पेश करने की कोशिश की गई है। उनके इस जल्दबाजी में सुनाए गए निर्णय से हमारे परिवारों को जिसमें बच्चे एवं बूढ़े सभी शामिल हैं। को स्वयं की खून पसीनों की कमाई से बनाए घर बेदखल होना पड़ेगा। तहत अदालत के द्वारा Low oF Limitation (12 Years) को पूर्णतया नजर अंदाज किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार लम्बे समय से निवास कर रहे व्यक्तियो का आउट ऑफ पजेशन समाप्त हो जाता है। जिससे सन्दर्भ में लिमिटशन एक्ट के अनुसार मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। RRD-2003 पेज संख्या 207

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है कि प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 777 रकबा 0.0632 हे० वाके ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने के कारण वास्ते गुजारा हेतु आवंटन की गयी थी। जिसकी खातेदारी सनद पट्टा प्राप्त कर राजस्व रिकोर्ड में आराजी रेस्पोडेन्टान के नाम अमल दरामद हो रहा है। अपीलान्टान का उपरोक्त आराजी से कोई लेना देना व सम्बन्ध नही है, तथा आराजी को दबाते हुए गैरकानूनी रूप से कब्जा कर निर्माण कर टीनशेड डाल दिया गया, जुलाई, 2021 को उपरोक्त आराजी से गैरकानूनी रूप से किये गये कब्जे को हटाने के लिये कहा तो झगडा करने पर आमन्दा को गये। जिस पर मौजिजा लोगो की पंचायत इकट्ठा की गयी जिसमें पंचायत के लोगो ने

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर-निजारा (राज०)

समझाया। जिस पर कहा कि हमारे पास पशु बांधने के लिए जमीन नही है, एक साल के अन्दर पशु बांधने की जमीन का इंतजाम कर जमीन सुपुर्द कर देगे। दिनांक 28.10.2022 को एलानिया तौर पर धमकी देते हुए कहा कि हम तुम्हारी आराजी पर कब्जा नहीं हटायेगे हमने कब्जा कर दिया और समस्त आराजी के रकबा में नीव खोदकर पुख्ता निर्माण करेंगे और कब्जा नही छोडेगें। जिस पर अपीलान्टान के विरूद्व तहत अदालत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत विधिवत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर तहत अदालत द्वारा प्रकरण संख्या 09/2022 दर्ज रजिस्टर किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण में जॉच पटवारी के आराजी राजस्व रिकार्ड में सुन्दर लाल, हंसराज पुत्रान लेखराम जाति मेघवाल निवासी लालपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर आराजी खसरा न0 777 वाके ग्राम लालपुर के सम्पूर्ण भाग पर जगवन्त, जसवन्त पुत्रान रमेश चन्द तथा महावीर, शुभराम, सुरेश पुत्रान हुक्मचन्द जाति अहीर निवासी लालपुर तहसील कोटकासिम द्वारा अतिक्रमण कर पक्के मकानात व टीनशैड, चारदीवारी बना रखी है। जिस पर तहत अदालत द्वारा दिनाक 21.05.2024 को रेस्पोडेन्ट की आराजी पर अपीलान्ट द्वारा अवैध कब्जा सिद्व होने पर अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली/31 रूपये की शास्ती से दण्डित किये जाने के आदेश दिये जाकर रेस्पोडेन्ट को भौतिक कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये है। RBJ (14) 2007 RBJ (16) 2009 RBJ 2009

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2024 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 28.05.2024 को पेश की गयी है, जो 7 दिवस पश्चात पेश की गयी है, पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का संलग्न नही किया गया है, हम पत्रावली का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, हम पत्रावली का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/गुणावगुण के आधार कर किया जाना उचित समझते है। अपीलान्ट का कथन है, कि उपरोक्त आराजी गणपत वल्द कल्लू कोम अहीर निवासी लालपुर की कब्जा/उपयोग/उपभोग की जायदाद थी, जिसका बेचान गणपत द्वारा दिनाक 10.05.1972 को जरिये इकरारनामा अपीलान्टान के दादा कन्हैयालाल पुत्र रामप्रसाद कोम अहीर निवासी लालपुर को बेचान कर कब्जा दिया गया। अपीलान्टान के दादा कन्हैयालाल की मृत्यु हो जाने के बाद अपीलान्टान उपयोग–उपभोग कर रहे है। अपीलान्टान संख्या 2 जसवन्त की पत्नि सरोज के नाम से विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी संम्वत 2055, 56, 57, 58 में पडत गुवाडा तथा संम्वत 2067 68. 69 में आबादी दर्ज है। मौके पर 50 वर्षो से ज्यादा समय से मिन अपीलान्टान रिहायसी मकानात बनाकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। रेस्पोडेन्ट का कथन है, कि वर्णित आराजी खसरा न0 777 रकबा 0.0632 हे० वाके ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने के कारण वास्ते गुजारा हेतु आवंटन की गयी थी। जिसकी खातेदारी सनद पट्टा प्राप्त कर राजस्व रिकोर्ड में आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम अमल दरामद हो रहा है। जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा तहत अदालत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर तहत अदालत द्वारा निर्णय दिनाक 21.05.2024 के द्वारा रेस्पोडेन्ट की आराजी पर अपीलान्ट द्वारा अवैध कब्जा सिद्व होने पर अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली/31 रूपये की शास्ती से दण्डित किये जाने के आदेश दिये जाकर रेस्पोडेन्ट को भौतिक कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम कृर्षि भूमि दर्ज रिकार्ड है, किन्तु मौके पर कृषि का कार्य न होकर आबादी करीब 50 वर्षो से आवासीय मकानात बनाकर रहवास कर रहे है। उक्त कथन की पुष्टि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है, साथ ही तहत अदालत ने भी अपने निर्णय में उल्लेखित किया गया

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत स्पष्ट प्रावधान है, कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदार की खातेदारी आराजी पर किसी स्वर्ण काश्तकार द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में तो कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है, किन्तु मौके पर कृषि भूमि न होकर आवासीय मकानात/रिहायस बने हुऐ है, जो करीब 50 वर्षो से रहवास कर रहे है। प्रकरण में वर्णित आराजी के बाबत माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटकासिम में बउनान रमेश बनाम सुन्दरलाल वाद विचाराधीन है, उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी का न होकर जायदाद के मालिकाना हक का मामला प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में तहत अदालत द्वारा की गयी कार्यवाही न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.05.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी की राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति के बाबत पुनः गहन जॉच करे। पक्षकारान को पुनः सुनावाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अधिकतम – 2 माह में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार कोटकासिम को रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)